(69)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1082–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–3–16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर प्रकरण कमांक 27/2011–12/अपील.

उम्मेदसिंह पुत्र स्व. हरगोविंदसिंह
निवासी आदर्श कॉलौनी
रेजीडेंसी रोड, मुरार ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– राजेन्द्र सोनी पुत्र त्रिलोकचन्द्र सोनी
2– संजय सोनी पुत्र त्रिलोकचन्द्र सोनी
निवासीगण मकान नम्बर 29/2 गली नं 2
सांई बाबा मंदिर के पास, मल्हारगंज, इंदौर .....अनावेदकगण
3– समुद्र सिंह पुत्र हरगोविंदसिंह
4– लल्तोबाई बेवा हरगोविंदसिंह
5– गोमतीबाई
6– शीलाकुमारी
7– कपूरीबाई पुत्रियां हरगोविंदसिंह
निवासी थाटीपुर
परगना व जिला ग्वालियर
8– कमलादेवी जैन पत्नी बाबूलाल जैन (मृतक)
9– अशोक कुमार जैन
10– प्रमोद कुमार जैन पुत्रगण स्व. बाबूलाल जैन
11– सुनील कुमार जैन
12– अनिल कुमार जैन पुत्रगण स्व. बाबूलाल जैन
13– श्रीमती सविता जैन पुत्री बाबूलाल जैन
निवासीगण मुरार
परगना व जिला ग्वालियर
14– प्रेम कुमार जैन पुत्र गणेशीलाल
15– महेन्द्र कुमार जैन पुत्र गणेशीलाल (मृतक)
द्वारा वारिसान
(1) इंदर जैन पुत्र स्व. महेंद्र कुमार जैन
(2) अमीता जैन पुत्री स्व. महेंद्र कुमार जैन
(3) रीता जैन पुत्री स्व. महेंद्र कुमार जैन
(4) पप्पी जैन पुत्री स्व. महेंद्र कुमार जैन
(5) नीता जैन पुत्री महेंद्र कुमार जैन
16– श्रीमती शारदा देवी पुत्री गनेशीलाल
17– श्रीमती किरनदेवी पुत्री गनेशीलाल
18– मृतक शकुंतला पुत्री स्व. गनेशीलाल .....फॉरमल अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री रमेश बंसल, अभिभाषक, अनावेदक क. 1,2 एवं 15 के वारिसान
श्री पी.एन. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 10

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/7/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 8 कमलादेवी (मृतक) एवं अनावेदक कमांक 9 लगायत 13 द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के आदेश दिनांक 28–5–2003 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 27/2011–12/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान प्रदीप कुमार जैन द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 एवं अनावेदक कमांक 14 लगायत 18 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 10 (ए) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–3–16 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उन्हें प्रस्तुत करना आवश्यक था । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई । यह भी कहा गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी को शपथ पत्र अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र से छूट दिये जाने का अधिकार नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था, ऐसी स्थिति में विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया

कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बोलता हुआ सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1, 2 एवं 15 के वारिसान तथा अनावेदक कमांक 10 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, अतः मृतक के वारिसानों को अभिलेख पर लेने में आवेदक को आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की आपत्ति यह है कि अनावेदिका कमला देवी की मृत्यु होने पर लम्बे समय तक उसके वारिस को अभिलेख पर नहीं लिया गया है, जबकि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक अनावेदिका कमला देवी के वारिस पहले से ही अभिलेख पर हैं । अतः मृतक अनावेदिका कमला देवी के विरूद्ध यदि आवेदक की आपत्ति मानते हुए प्रकरण अवेट भी होता है तो प्रकरण के प्रचलनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं होगा । इसी प्रकार अनावेदिका शकुन्तला देवी के वारिसों के सम्बन्ध में आवेदक ने दो पक्षों के अभिभाषक के दुरभिसंधि की आपत्ति मात्र संदेहों पर की है । स्पष्ट है कि आवेदक की आपत्तियां मात्र तकनीकी स्वरूप की थी । अतः अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक पक्ष के आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर